

वन (संरक्षण) नयिम, 2022

प्रलिमिंस के लयि:

वनीकरण, भारत राज्य वन रिपोर्ट, 2019, वन संरक्षण अधनियिम, 1980, वन्यजीव संरक्षण अधनियिम 1972, अनुसूचति जनजात और अन्य पारंपरिक वन नवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधनियिम, 2006 ।

मेन्स के लयि:

वन के प्रावधान (संरक्षण) नयिम, 2022, वन संरक्षण अधनियिम, 1980, राष्ट्रीय वन नीति, 1988, वन्यजीव संरक्षण अधनियिम, 1972 ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने वन (संरक्षण) नयिम, 2022 जारी कयि है ।

- यह वन (संरक्षण) अधनियिम, 1980 की धारा 4 और वन (संरक्षण) नयिम, 2003 के अधिक्रमण (Supersession) में प्रदान कयि गया है ।

वन (संरक्षण) नयिम, 2022 के प्रावधान:

- **समतियों का गठन:**
 - इसने एक **सलाहकार समति**, प्रत्येक एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालयों में एक क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त समति और राज्य/केंद्रशासति प्रदेश (UT) सरकार के स्तर पर एक **स्क्रीनिंग समति** का गठन कयि ।
- **सलाहकार समति:**
 - सलाहकार समति की भूमिका इसके लयि **संदर्भति प्रस्तावों और केंद्र सरकार द्वारा संदर्भति वनों के संरक्षण से जुड़े कसि भी मामले के संबंध में संबंधति धाराओं के तहत अनुमोदन प्रदान करने के संबंध में सलाह देने या सफारिश करने तक सीमति है ।**
- **परयोजना स्क्रीनिंग समति:**
 - MoEFCC ने वन भूमि के अंतरण से जुड़े प्रस्तावों की प्रारंभिक समीक्षा के लयि प्रत्येक राज्य/ केंद्रशासति प्रदेश में एक **परयोजना स्क्रीनिंग समति** के गठन का निर्देश दयि है ।
 - पाँच सदस्यीय समति प्रत्येक महीने कम-से-कम दो बार बैठक करेगी और राज्य सरकारों को समयबद्ध तरीके से परयोजनाओं पर सलाह देगी ।
 - **5-40 हेक्टेयर के बीच की सभी गैर-खनन परयोजनाओं की समीक्षा 60 दिनों की अवधि के भीतर** की जानी चाहयि और ऐसी सभी खनन परयोजनाओं की समीक्षा 75 दिनों के भीतर की जानी चाहयि ।
 - बड़े क्षेत्र वाली परयोजनाओं के लयि समति को कुछ और समय मलिता है, जसिमें 100 हेक्टेयर से अधिक की गैर-खनन परयोजनाओं के लयि 120 दिन और खनन परयोजनाओं के लयि 150 दिन शामिल है ।
- **क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त समतियाँ:**
 - **सभी रैखिक परयोजनाओं (सड़कों, राजमार्गों आदी), 40 हेक्टेयर तक की वन भूमि से जुड़ी परयोजनाएँ और जनिहोंने सर्वेक्षण के प्रयोजन के लयि उनकी सीमा के बावजूद 0.7 तक कैनोपीघनत्व वाली वन भूमि के उपयोग का अनुमान लगाया है उनकी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय में जाँच की जाएगी ।**
- **प्रतपूरक वनीकरण:**
 - परवतीय या पहाड़ी राज्य वन भूमि को अपने भौगोलिक क्षेत्र के दो-तहिाई से अधिक कवर करने वाले हरति आवरण के साथ, या राज्य/ केंद्रशासति प्रदेश अपने भौगोलिक क्षेत्र के एक-तहिाई से अधिक को कवर करने वाले वन भूमि के अंतरण में सक्रम होंगे, इसके अलावा अन्य राज्यों/केंद्रशासति प्रदेशों, जहाँ कवर 20% से कम है, में प्रतपूरक वनरोपण करना ।

वन संरक्षण के लयि अन्य पहलें:

■ भारतीय वन नीति, 1952:

- यह औपनिवेशिक वन नीति का एक सरल वसतिार था। हालांकि इसमें कुल भूमि क्षेत्र का एक- तर्हई तक वन आवरण बढ़ाने का प्रावधान शामिल था।
- उस समय जंगलों से प्राप्त अधिकतम वार्षिक राजस्व राष्ट्र की महत्त्वपूर्ण आवश्यकता थी। दो वशिव युद्धों, रक्षा की आवश्यकता, विकासात्मक परियोजनाएँ जैसे- नदी घाटी परियोजनाएँ, लुगदी, कागज़ और प्लाईवुड जैसे उद्योग तथा राष्ट्रीय हति की वन उपज पर बहुत अधिक निर्भरता के परिणामस्वरूप जंगलों के वशाल क्षेत्रों से राजस्व जुटाने के लिये राज्यों को मंजूरी दे दी गई।

■ वन संरक्षण अधिनियम, 1980:

- वन संरक्षण अधिनियम, 1980 ने निर्धारित कथि कथिन क्षेत्रों में स्थायी कृषिवानिकी का अभ्यास करने के लिये केंद्रीय अनुमति आवश्यक है। इसके अलावा उल्लंघन या परमटि की कमी को एक अपराध माना गया।
- इसने वनों की कटाई को सीमति करने, जैववधितता के संरक्षण और वन्यजीवों को बचाने का लक्ष्य रखा। हालांकि हँकथि यह अधिनियम वन संरक्षण के प्रतधिक आशा प्रदान करता है लेकनि यह अपने लक्ष्य में सफल नहीं था।

■ राष्ट्रीय वन नीति, 1988:

- राष्ट्रीय वन नीति का अंतिम उद्देश्य एक प्राकृतिक वरिसत के रूप में वनों के संरक्षण के माध्यम से पर्यावरणीय स्थरिता और पारस्थितिकि संतुलन को बनाए रखना था।
- इसने वाणज्यिक सरोकारों से वनों की पारस्थितिकि भूमिका और भागीदारी प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने के लिये एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण और स्पष्ट बदलाव कथि।
- इसमें देश के भौगोलिक क्षेत्र के 33% हसिसे को वन और वृक्षों से आच्छादित करने के लक्ष्य की परकिल्पना की गई है।

■ राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम:

- इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2000 से नमिनीकृत वन भूमिके वनीकरण के लिये लागू कथि गया है।

■ अन्य संबंधित अधिनियम:

- [1972 का वन्यजीव संरक्षण अधिनियम](#), [1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम](#) और [2002 का जैववधित अधिनियम](#)।
- [अनुसूचित जनजात और अन्य पारंपरिक वन नविसी \(वन अधिकार की मान्यता\) अधिनियम, 2006](#):
 - यह वन-नविसी अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के वन अधिकारों एवं वन भूमि पर कब्जेको पहचानने के लिये बनाया गया है जो पीढ़ियों से ऐसे जंगलों में रह रहे हैं।

भारत में वन:

■ परिचय:

- [भारत वन स्थिति रिपोर्ट-2021](#) के अनुसार, भारत का कुल वन और वृक्षावरण क्षेत्र अब **7,13,789 वर्ग किलोमीटर** है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का **21.71%** है, जो **2019 के 21.67%** से अधिक है।
- वनावरण (क्षेत्रफल में): मध्य प्रदेश > अरुणाचल प्रदेश > छत्तीसगढ़ > ओडिशा > महाराष्ट्र।

■ वर्गीकरण:

- आरक्षित वन:
 - **आरक्षित वन:** आरक्षित वन सबसे अधिक प्रतबंधित वन हैं और कसि भी वन भूमि या बंजर भूमि जो कसि सरकार की संपत्ति है, राज्य सरकार द्वारा आरक्षित होती है।
 - आरक्षित वनों में कसि वन अधिकारी द्वारा वशिष रूप से अनुमतिके बनि स्थानीय लोगों की आवाजाही नषिद्ध है।

संरक्षित वन:

- राज्य सरकार को आरक्षित भूमिके अलावा अन्य कसि भी भूमिको, जो कसि सरकार की संपत्ति है, संरक्षित करने का अधिकार है।
- इस शक्ति का उपयोग ऐसे वृक्षों जनिकी लकड़ी, फल या अन्य गैर-लकड़ी उत्पादों में राजस्व बढ़ाने की क्षमता है, पर राज्य का नयितरण स्थापित करने के लिये कथि जाता है।

ग्राम वन:

- ग्राम वन वे हैं जनिके संबंध में राज्य सरकार “कसि भी ग्राम समुदाय को कसि भी भूमि या आरक्षित वन के रूप में सूचीबद्ध भूमिके संबंध में सरकार के अधिकार सौंप सकती है।”
- **सुरक्षा का स्तर:**
 - आरक्षित वन > संरक्षित वन > ग्राम वन।
- **संवैधानिक प्रावधान:**
 - [42वें संशोधन अधिनियम, 1976](#) के माध्यम से शक्ति, नापतौल एवं न्याय प्रशासन, वन, वन्यजीवों तथा पक्षियों के संरक्षण को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था।
 - संवधान के अनुच्छेद 51A (g) में कहा गया है कथिनो एवं वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना प्रत्येक नागरिक का **मौलिक कर्तव्य** होगा।
 - [राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों](#) के तहत अनुच्छेद 48A के मुताबिक, राज्य पर्यावरण संरक्षण व उसको बढ़ावा देने का काम करेगा और देश भर में जंगलों एवं वन्यजीवों की सुरक्षा की दशिा में कार्य करेगा।

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न:

प्रश्न. भारत का एक विशेष राज्य नमिनलखिति विशेषताओं से युक्त है:

1. यह उसी अक्षांश पर स्थिति है, जो उत्तरी राजस्थान से होकर गुजरता है।
2. इसका 80% से अधिक क्षेत्र वनाच्छादित है।
3. 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है।

नमिनलखिति राज्यों में से किसमें उपर्युक्त सभी विशेषताएँ हैं?

- A. अरुणाचल प्रदेश
- B. असम
- C. हिमाचल प्रदेश
- D. उत्तराखंड

उत्तर: A

- अरुणाचल प्रदेश 26.28° उत्तरी से 29.30° उत्तरी अक्षांश के बीच स्थिति है। यह उसी अक्षांश पर स्थिति है जो उत्तरी राजस्थान से होकर गुजरता है (राजस्थान का अक्षांशीय वस्तितार लगभग 23° उत्तरी से 30° उत्तरी तक है)।
- वर्ष 2011 के आँकड़ों के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का वनावरण 80.50 प्रतिशत था, जो वर्तमान आँकड़ों के अनुसार 79.63% है। 2 राष्ट्रीय उद्यान और 11 वन्यजीव अभयारण्य राज्य के संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क का गठन करते हैं, जो इसके भौगोलिक क्षेत्र का 11.68% है।

अतः विकल्प A सही उत्तर है।

स्रोत : द हट्टि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/forest-conservation-rules-2022>

